JALAUN POLICE

दिनांक – 28.05.2026

थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन कराने वाले 03 अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशानुसार जनपद जालौन में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम के क्रम में थाना कुठौंद पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन कराने वाले 03 अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

दिनांक 27.05.2026 को वादी द्वारा थाना कुठौंद पर तहरीरी सूचना देते हुए अवगत कराया गया कि 1. विवेक कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार निवासी ग्राम सिरसाकलार थाना सिरसाकलार जनपद जालौन 2. मोहित चौधरी पुत्र रामदास दोहरे निवासी ग्राम हीरापुरा थाना जालौन जनपद जालौन 3. अमित पुत्र संतोष कुमार निवासी ग्राम ऊद थाना सिरसाकलार जनपद जालौन द्वारा जनपद जालौन से 09 महिलायें व 04 पुरूष, जनपद भिण्ड मध्यप्रदेश से 04 महिलायें, जनपद औरैया से 02 महिलायें, जनपद इटावा से 02 महिलायें, जनपद कन्नौज से 01 महिला कुल 18 महिलायें व 04 पुरूषों (सभी हिन्दु धर्म के) को बहला फुसलाकर व प्रलोभन देकर ईसाई प्रार्थना सभा में शामिल होने हेतु जनपद लखनऊ ले जा रहे है जहां पर उनका धर्म परिवर्तन कराये जाने की पूरी संभावना है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कुठौंद पर 03 नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 73/26 धारा 61/318 बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 2021 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. विवेक कुमार पुत्र स्व0 राम कुमार उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम सिरसाकलार जनपद जालौन।
2. मोहित चौधरी पुत्र रामदास दोहरे उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्रामं हरिपुरा जालौन जनपद जालौन।
3. अमित पुत्र संतोष कुमार उम्र करीब 25 वर्ष नि0गण ग्राम ऊद थाना सिरसाकलार जनपद जालौन।